प्रपत्र सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या तिथि तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
20/07/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-71/2021

अनिल पासवान.....पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद अनिल पासवान, पिता-अमोली पासवान, सा0-गोलमा पश्चिम, वार्ड नं0-05, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर M.J.C. No.-544/2020 (C.W.J.C No.-13072/2019 से संबंधित) में दिनांक 23.06.2021 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के विविध (आपूर्ति) अपीलवाद सं0-18/2019 में दिनांक-09.07.2020 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसके द्वारा वादी के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

जिला आपूर्ति शाखा समाहरणालय, सहरसा के द्वारा जन वितरण प्रणाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्रखंड-पतरघट अन्तर्गत गोलमा पश्चिम, वार्ड नं0-05, में सामान्य श्रेणी हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसमें औपबंधिक मेधा सूची में सुमन कुमार का नाम प्रथम स्थान पर एवं आवेदक अनिल पासवान का नाम तृतीय स्थान पर आया। आवेदक द्वारा प्रथम स्थान पर चयनित अभ्यर्थी के विरूद्ध आरोप लगाते हुए जिला पदाधिकारी, सहरसा को आवेदन दिया गया। जिसमें सुमन कुमार के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि उनका नाम मतदाता सूची में दो जगह है एक पतरघट प्रखंड अन्तर्गत गोलमा पश्चिम वार्ड सं0-05 एवं दूसरी जगह वार्ड नं0-35, मोहल्ला-सिमराहा, नगर परिषद, सहरसा में नाम दर्ज है। साथ ही उनके द्वारा जो गोदाम का विवरण दिया गया है वहाँ तक पहुँच पथ नहीं है। चयन समिति द्वारा उक्त दोनों आरोप को निराधार पाया गया।

तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C No.-13072/2019 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2019 को आदेश पारित करते हुए सक्षम न्यायालय में अपील करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा में विविध (आपूर्ति) अपीलवाद सं0-18/2019 दायर किया गया। साथ ही C.W.J.C No.-13072/2019 की प्रति भी दाखिल की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुलग्नक-7,8,9 में अंकित बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए 90 दिन के अन्दर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। तदालोक में अपीलार्थी के द्वारा अनुलग्नक-7,8,9 की प्रति दाखिल की गई। समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल अनुलग्नक-7,8,9 में अंकित बिन्दु के संदर्भ में वास्तविकता से अवगत होने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को उपस्थित होकर पक्ष रखने के लिए आदेशित किया गया। आवेदक द्वारा मूल रूप से दो बिन्दुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज की गई। उनके द्वारा उक्त आपत्ति में बताया गया की चयनित अभ्यर्थी श्री सुमन कुमार साह द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज नाम को विलोपित करने हेतु संबंधित निर्वाचक पदाधिकारी के यहाँ प्रपत्र (7) में अपना आवेदन जन वितरण प्रणाली विक्रेता चयन हेतु आवेदन समर्पित करने के बाद किया गया है एवं गोदाम तक जाने का रास्ता नहीं है। उक्त दोनों आपत्ति की जाँच संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से करायी गयी। प्रखंड आपूर्ति, पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी के दोनों आरोपों को खारिज कर दिया गया। न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री अनिल पासवान पिता-अमोली पासवान, वार्ड नं0-05, ग़ोलमा पश्चिमी, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा द्वारा पुनरीक्षण वाद सं0-71/2021 दायर किया गया।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए चयन समिति द्वारा पी0डी0एस0 लाईसेंस हेतु किये गये अनुशंसा को गलत बताया गया। अपीलार्थी का कहना है कि चयनित अभ्यर्थी सुमन कुमार साह का गोलमा पश्चिमी वार्ड नं0-05, एवं दूसरी जगह वार्ड नं0-35, मोहल्ला-सिमराहा, नगर परिषद, सहरसा में नाम दर्ज है एवं चरित्र प्रमाण-पत्र भी सिमराहा वार्ड नं0-35 से ही निर्गत है। जबकि यह विज्ञापन गोलमा पश्चिमी वार्ड नं0-05 के लिए था। इस अनियमितता हेतु अपीलार्थी द्वारा सक्षम पदाधिकारी के पास बार-बार आवेदन भी समर्पित किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अपीलार्थी द्वारा एक अन्य बिन्दु पर भी आपत्ति उठायी गयी कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा जो गोदाम का विवरण दिया गया है, वहाँ तक पहुँचने हेतु आम रास्ता नहीं है, जो पी0डी0एस0 चयन हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए अपीलार्थी के आरोप का खंडन किया गया है। उनका कहना है कि दिनांक 30.07.2018 को गोलमा पश्चिम, वार्ड नं0-05 हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आवेदन के पश्चात सुमन कुमार साह जिसकी शैक्षणिक योग्यता एम0ए0 है एवं कम्प्यूटर की जानकारी एवं गोदाम रहने के कारंण मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के कारण उनका चयन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आरोप की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा करायी गयी। जहाँ तक विपक्षी का नाम दो मतदाता सूची में दर्ज होने का प्रश्न है तो विपक्षी द्वारा नगर परिषद क्षेत्र सिमराहा, वार्ड नं0-35 से नाम विलोपन हेतु संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ प्रपत्र-7 में आवेदन दिया गया है। श्री सुमन कुमार साह का प्रखंड कार्यालय से निर्गत निवास प्रमाण-पत्र एवं उप प्रमुख, पतरघट के द्वारा दाखिल लिखित बयान से स्पष्ट है कि श्री साह वार्ड नं0-05, गोलमा पश्चिमी के निवासी हैं। अपीलार्थी के द्वारा गोदाम हेतु जिस जमीन का खाता एवं खेसरा संख्या दिया गया है, वहाँ जाने के लिए पहुँच पथ एवं गोदाम नहीं होने के संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तरकटैया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित आरोप निराधार है अर्थात् अपीलार्थी का दोनों आरोप गलत है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए विपक्षी द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करने तथा न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक का पक्ष एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के परिशीलनोपरान्त परिलक्षित होता है कि अपीलाथी इस न्यायालय में भी यह साबित करने में असफल रहे कि चयनित अभ्यर्थी संबंधित पंचायत के निवासी नहीं हैं। तदालोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा वृहत रूप से समीक्षा के उपरान्त पारित आदेश सही है तथा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।